

अंतिम डिक्री मुकदमा इबताई
(रूल्स 18-21)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

1. किशनलाल पिता भभूत जाति नायक उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

वादी

बनाम

1. अम्बालाल पिता हीरा जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. नर्बदा पुत्री हीरा जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. नारायणलाल पिता हीरा जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. नोजी बाई पत्नि हीरा जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. प्यारी बाई पत्नि हांसा जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. भैरूलाल पिता हीरा जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
7. रतनी पुत्री हीरा जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
8. विष्णु पुत्र हीरा जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
9. संतोक पुत्री हीरा जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी नारायणपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
10. शाखा प्रबंधक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रुद तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
11. श्रीमान् तहसीलदार साहब, लैण्ड लॉर्ड तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता श्री रतनसुखवाल
अधिवक्ता एक तरफा

वादी।
प्रतिवादी।

-:: वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0टिनेन्सी एक्ट ::-

प्रकरण संख्या :- 047/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रुबरु श्री रतन सुखवाल वकील वादी एवं प्रतिवादी एकतरफा में मिनजतिब



(नीति बरीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी



मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का पावली की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 778/743/1 रकबा 0.3993 है0 किस्म बा0-3 लगान 1.23 रूपया का किसनलाल पुत्र भभूत जाति नायक सा0देह रहन बदस्तुर, आराजी संख्या 778/743 मी0 रकबा 0.7986 है0 किस्म बा0-3 लगान 2.47 रूपया का अम्बालाल पुत्र हीरा बैरवा 1/16,नर्बदा पुत्री हीरा बैरवा1/16,नारायणलाल पुत्र हीरा बैरवा 1/16,नोजीबाई पत्नि हीरा बैरवा 1/16,प्यारी बाई पत्नि हांसा बैरवा 1/2, भैरूलाल पुत्र हीरा बैरवा 1/16, रतनी पुत्री हीरा बैरवा 1/16,विष्णु पुत्र हीरा बैरवा1/16,सा0देह को खातेदार घोषित किया जाता है, तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। पर्चा अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 19.05.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

मुदई		स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा	
मुदई	मुदालयत	रूपये	पैसे	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा	स्टाम्प वकालत नामा				
स्टाम्प वजह सबूत	स्टाम्प वजह सबूत				
महन्ताना वकील	महन्ताना वकील				
खर्चा गवाहान	खर्चा गवाहान				
बाबत ईजराय हुक्मनामा	बाबत ईजराय हुक्मनामा				
मुत0	मुत0				
मिलान	मिलान				



(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी